

## कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक : प.जि.न्याया/स्था./2020/EA/77

दिनांक : 14-04-2020

### कार्यालय आदेश

Novel Corona Virus (Covid-19) के प्रसार को रोकने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 की पालना में कोटा न्यायक्षेत्र में दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक प्रत्येक कार्य दिवस पर 2 पी.एम. से 4 पी.एम. तक और/या आगामी आदेश तक आवश्यक प्रकृति के कार्य निस्तारित करने के लिए निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण की ड्यूटी लगाई जाती है :-


### कोटा मुख्यालय :-

जिला न्यायाधीश/पारिवारिक न्यायाधीश/विशिष्ट न्यायाधीश/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तरीय न्यायालयों/अधिकरणों से सम्बन्धित आवश्यक प्रकृति के कार्य के लिए :-

क्र. सं.	दिनांक	न्यायालय का नाम
1	15.04.2020 16.04.2020 02.05.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-1, कोटा
2	17.04.2020 18.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-4, कोटा
3	20.04.2020 21.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-5, कोटा
4	22.04.2020 23.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-6, कोटा
5	24.04.2020 27.04.2020	अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, क्रम-1 कोटा
6	28.04.2020 29.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-2, कोटा
7	30.04.2020 01.05.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-3, कोटा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालयों/अधिकरणों/बोर्ड से सम्बन्धित आवश्यक प्रकृति के कार्य के लिए :-

क्र.सं.	दिनांक	न्यायालय का नाम
1	15.04.2020 16.04.2020	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5 कोटा
2	17.04.2020 18.04.2020	पीठासीन अधिकारी, किराया अधिकरण, कोटा

  
14/4/20  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
कोटा (राजस्थान)

3	20.04.2020 27.04.2020	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-3 कोटा
4	21.04.2020	विशिष्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा
5	22.04.2020 23.04.2020	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-4 कोटा
6	24.04.2020	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-6 कोटा
7	28.04.2020 29.04.2020	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-7 कोटा
8	30.04.2020 01.05.2020	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा
9	02.05.2020	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-1 कोटा

न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालयों से सम्बन्धित दीवानी/फौजदारी आवश्यक प्रकृति के कार्य के लिए :-

क्र. सं.	दिनांक	न्यायालय का नाम
1	15.04.2020 16.04.2020	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-2कोटा (उत्तर)
2	17.04.2020 18.04.2020	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-2कोटा (दक्षिण)
3	20.04.2020 21.04.2020	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-3कोटा (दक्षिण)
4	22.04.2020 23.04.2020	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), कम-1 कोटा
5	24.04.2020 27.04.2020	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), कम-2 कोटा
6	28.04.2020 29.04.2020	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-1कोटा (उत्तर)
7	30.04.2020 01.05.2020	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-1कोटा (दक्षिण)
8	02.05.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (दक्षिण)

रामगंजमण्डी मुख्यालय पर उक्तानुसार कार्य व्यवस्था हेतु न्यायिक अधिकारीगण की बैठक व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

क्र. सं.	दिनांक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तरीय न्यायालय से सम्बन्धित दीवानी/सेशन आवश्यक प्रकृति के कार्य के लिए	न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालयों से सम्बन्धित दीवानी/फौजदारी आवश्यक प्रकृति के कार्य के लिए
1	15.04.2020 16.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, खेराबाद
2	17.04.2020 18.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी
3	20.04.2020 21.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी

(11)  
15/4/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
कोटा (राजस्थान)

4	22.04.2020 23.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, खेराबाद
5	24.04.2020 27.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी
6	28.04.2020 29.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी
7	30.04.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, खेराबाद
8	01.05.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी
9	02.05.2020	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी

इटावा मुख्यालय पर उक्तानुसार कार्य व्यवस्था हेतु न्यायिक अधिकारीगण की बैठक व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

क्र. सं.	दिनांक	न्यायालय का नाम
1	15.04.2020 16.04.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा
2	17.04.2020 18.04.2020	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय इटावा
3	20.04.2020 21.04.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा
4	22.04.2020 23.04.2020	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय इटावा
5	24.04.2020 27.04.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा
6	28.04.2020 29.04.2020	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय इटावा
7	30.04.2020 01.05.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा
8	02.05.2020	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय इटावा

सांगोद, दीगोद व कनवास मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में एक-एक पीठासीन अधिकारी ही पदस्थापित हैं, इसलिए प्रत्येक मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश होने से वे सभी अपने-अपने न्यायालयों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवश्यक प्रकृति के कार्य 2 पी.एम. से 4 पी.एम. के मध्य करेंगे।

उक्त व्यवस्था के अनुसार न्यायिक कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर 2 पी.एम. से 4 पी.एम. तक ही किया जाएगा। इस हेतु पीठासीन अधिकारी आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करने हेतु बुला सकते हैं परन्तु उनके बैठने की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए ताकि उनके मध्य पर्याप्त दूरी बनी रहे तथा शेष कर्मचारीगण को कार्यालय में बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी परन्तु उनको रोटेशन के आधार पर कार्यालय

जिला एवं सेशन न्यायाधीश (कोटा राजस्थान) बुलाने हेतु अपने निवास पर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया जाए तथा उनको यह भी

51  
15/4/20

निर्देशित किया जाए कि वे अनावश्यक बाहर घूमने-फिरने पर अंकुश रखें जिससे बाहरी व्यक्तियों से उनका सम्पर्क कम से कम हो सके।

समस्त पीठासीन अधिकारीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोटा न्यायक्षेत्र के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में रहने वाले अथवा ऐसे स्थल पर रहने वाले कर्मचारीगण जिनके इलाकों में कर्फ्यू तो नहीं है परन्तु उनके घर से ऑफिस तक आने के लिए कर्फ्यूग्रस्त इलाके के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता न हो, ऐसे कर्मचारीगण को कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए बाध्य न किया जाए, अन्यथा इससे संक्रमण की सम्भावना बढ़ सकती है। किसी भी तरह की असुविधा होने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा से सम्पर्क करें जो मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार समुचित व्यवस्था करेंगे।

उक्त कार्य व्यवस्था Novel Corona Virus (Covid-19) के प्रसार को रोकने के लिए की गई है, न्यायालयों में अवकाश रहने अथवा न्यायालय बन्द रखने का आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में, यह भी निर्देशित किया जाता है कि अन्य न्यायिक अधिकारीगण मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन न्यायालयों के न्यायिक अधिकारीगण को न्यायिक कार्य हेतु अधिकृत किया गया है, वे उनके द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों की सत्यापित प्रति पक्षकारान् को तत्समय ही उपलब्ध कराएं।

### नोट :-

1. दिनांक 19.04.2020, 25.04.2020, 26.04.2020 तथा 03.05.2020 के राजकीय अवकाशों में रिमाण्ड ड्यूटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा जारी पूर्व आदेशानुसार रहेगी।
2. किन्हीं कारणों से उक्त में से किसी न्यायिक अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर उनके लिंक अधिकारी कार्य करेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
कोटा  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
कोटा (राजस्थान)  
दिनांक 01/05/20

क्रमांक : प.जि.न्याया/स्था./2020/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कोटा न्यायक्षेत्र, कोटा
2. जिला कलेक्टर, कोटा
3. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, कोटा/रामगंजमण्डी/सांगोद/कनवास/इटावा/दीगोद, जिला कोटा
4. पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर/कोटा ग्रामीण
5. लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक, सेशन न्यायालय, कोटा
6. उपनिदेशक, अभियोजन, कोटा
7. सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय, कोटा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. कार्यालय प्रति

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
कोटा  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
कोटा (राजस्थान)  
दिनांक 01/05/20